(b) The bi-annual fertilizer supply plans formulated to ensure timely supply of controlled fertilizers take into account the needs of all categories of farmers, including small farmers. The availability of controlled fertilizers is periodically monitored in coordination with State Government, fertilizers manufacturers, pool handling agencies and the Railways. Government also keeps a watch over the availability of decontrolled fertilizers.

The increase in the number of fertilizer sale points from 1.56 lakhs in the year 1984-85 to 2.48 lakhs in the year 1992-93 has improved the access of small farmers to fertilizers. Further, State Governments have been advised to exempt dealers stocking up to 10 tonnes of fertilizers from the requirement of obtaining dealership registration certificates under the Provisions of Fertilizer (Control) Order, 1985.

With a view to improving availability of fertilizers to small farmers, Government have advised State Governments and fertilizer industry to make fertilizers available in small bags, particularly in hilly and inaccessible areas. Special efforts have also been deployed to educate farmers, particularly small and marginal farmers, in the optimal use of fertilizers through field demonstrations.

उर्वरक उद्योग में घटता हुआ निवेश

1346. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :**

श्री आस मोहम्मद :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी दीर्घकालीन नीति के अभाव में सरकार द्वारा तदर्थ आधार पर निर्णय लिए जाने के कारण भारतीय उर्वरक उद्योग में निवेश में कमी आई है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय उवरक उद्योग में किए गए निवेश का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में शीघ्र कोई दीर्घकालीन नीति बनाने का विचार रखती है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरियो) : (क) और (ग) देश में नाइट्रोजनी उर्वरक उद्योग में निवेश प्राकृतिक गैस जो सर्वाधिक वरीय फीड स्टाक है की उपलब्धता में बाधाओं के कारण कम हुए हैं। इसी तरह, फास्फटिक उर्वरकों के मामले में स्वदेशी उद्योग उनकी आयातित कच्चे मालों पर निर्भरता तथा अपेक्षाकृत सस्ते आयातों से तेज प्रतिस्पर्धा के कारण विकलांग है । अंतरराष्ट्रीय बाजार में तैयार फास्फेटिक उर्वरकों और उनके कच्चे मालों के मूल्य सामान्यतः आगे पीछे नहीं होते ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्ण हुई वृहद उर्वरक परियोजनाओं पर किया गया संचयी कुल निवेश लगभग 2612.00 करोड़ रु० था ।

Bhopal Gas Victims

1347 SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report in the 'Hindustan Times', dated 23rd June, 1994 captioned, "Justice eludes Bhopal gas victims", and

(b) if so, what is the latest factual position about the relief and compensation paid and payable to Bhopal gas victims; and the difficulties faced by them in securing their dues?

THE MINISTER OF STATE FOR CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Government have seen the report.

(b) As on 14.7.94, 77,386 claims have been disposed of against 6,13,000 claims filed for injury and death cases. The amount of compensation awarded is Rs. 237.79 crores.

According to the Welfare Commissioner, the non-availability of Judges in the required number is the main impediment in disposal of the cases of the victims.

उर्वरकों में मिलावट और उनकी जमाखोरी

1348. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :**
श्री आज़ मोहम्मद :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों में मिलावट और इसकी जमाखोरी की घटनायें हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य वार ऐसी कितनी घटनायें घटित हुई हैं; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु जांच मशीनरी को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरियो) : (क) और (ख) देश में उर्वरकों की जमाखोरी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। गत 3 वर्षों के दौरान अर्थात् 1991-92 से 1993-94 तक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा यथा सूचित गैर मानक पाये गये उर्वरक नमूनों की संख्या के आंकड़े, जिनमें मिलावटी पाये गये नमूने शामिल हैं, संलग्न विवरण पत्र में दर्शाये गये हैं **(नीचे देखिए)**।

(ग) किसानों को गैर-मानक उर्वरकों की बिक्री की घटना की दृष्टि से, केन्द्र और राज्यों में दोनों जगह पहले ही तंत्र विद्यमान है। उर्वरकों का उत्पादन और बिक्री उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 द्वारा विनियमित होते हैं जो मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उर्वरक नियंत्रण आदेश गैर मानक अप्रमाणिक/मिलावटी उर्वरकों के उत्पादन और उसकी किसानों को बिक्री पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाता है। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त उर्वरक निरीक्षक और प्रवर्तन अभिकरण उत्पादकों, आयातकों, सहकारी बिक्री केन्द्रों सहित डीलरों से नियमित रूप से नमूने लेते हैं और उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं जो राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, से नमूनों का विश्लेषण कराते हैं।

अपराधियों के खिलाफ विभिन्न प्रशासनिक दण्ड लगाये जाते हैं जैसे कि पंजीकरण के प्रमाण पत्र को निलंबित/रद्द करना, भण्डारों को जब्त करना तथा कानूनी अभियोजन भी चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना और जुर्माने के बिना तीन महीने से लेकर सात वर्ष तक की कैद हो सकती है।